अत्यंत महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र.16075/22/वि–12/ग्रास/लेखा/स.प्र.वि/ दिनांक 10.5.2016

प्रति,

महाप्रबंधक / (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
....

विषय–:अनुरक्षण मद में बैंक अथोराईजेशन सीमा जारी किये जाने बावत्।

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु राज्य बजट के माध्यम से राशि उपलब्ध होती है। वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के विरूद्ध परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को बैंक अथोराईजेशन सीमा जारी की गई। इकाईयों द्वारा माह अप्रैल 2016 की प्रस्तुत चेकों की सूचियों का परीक्षण करने पर पाया गया कि अधिकांश इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक अथोराईजेशन सीमा का पूर्ण उपयोंग नही किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा राश इस शर्त पर उपलब्ध कराई जा रही है कि केवल जितनी देनदारी है उतना ही आहरण किया जाएगा एवं राशि बैंक मे नही रखी जाएगी। ऐसी स्थिति में इकाईयों द्वारा पूर्ण राशि का उपयोग नही करने से अनावश्यक रूप से इकाईयों पर राशि अवरूद्ध हुई है जबकि अन्य इकाईयों के भुगतान लंबित हो रहे हैं एवं बैंक में भी राशि परिलक्षित हो रही है।

अतः अनुरक्षण मद में इकाईयों द्वारा बैंक अथोराईजेशन हेतु प्रस्तुत मॉग पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के तारतम्य में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं–

1. इकाईयों द्वारा उतनी ही बैंक अथोराईजेशन सीमा की मॉग की जाए जितनी आवश्यकता है।
2. माह में मॉग की गई/जारी की गई अथोराईजेशन सीमा का 90 प्रतिशत व्यय उसी माह करना अनिवार्य होगा।
3. यदि इकाई द्वारा उक्त राशि व्यय नहीं की जाती है तो मुख्यालय के लेखों के अनुरूप शेष बैंक अथोराईजेशन सीमा वापस ले ली जाएगी जिस हेतु इकाई स्वयं जिम्मेदार होगी।
3. व्यय से संबंधित चैक लिस्ट आगामी माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से मुख्यालय में उपलब्ध कराई जाए।

4. मॉग पत्र 5 से 15 तारीख के बीच प्रस्तुत किया जाए।

6. उक्त अवधि के पश्चात प्रस्तुत मॉग पत्र के साथ गत माह के अंतिम शेष के विरूद्ध जारी किए गए चैकों की सूची संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

7. रू. 1 करोड़ (एक करोड़) से अधिक के मॉग पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में बैंक अथोराईजेशन सीमा के मॉग पत्र के साथ संभावित देयकों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

क्र0076 / 22 / वि–12 / ग्रास / लेखा / स.प्र.वि / दिनांक 10.5.2016

प्रतिलिपि

1. प्रमुख अभियंता म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक समस्त म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल